अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 86/2009

1. अणदी लाल आत्मज घांसी लाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।
2. गोपाल लाल आत्मज घांसीलाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नन्द कुमार जोशी आत्मज श्री हरिशंकर जोशी जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीपुरा हाल निवासी मकान नम्बर 185 वार्ड संख्या 05 आदर्श विद्या मंदिर के पास गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी।
2. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 265/दावा/2006

नन्द कुमार जोशी आत्मज श्री हरिशंकर जोशी जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीपुरा हाल निवासी मकान नम्बर 185 वार्ड संख्या 05 आदर्श विद्या मंदिर के पास गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी।

——वादी

बनाम

1. अणदी लाल आत्मज घांसी लाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।
2. गोपाल लाल आत्मज घांसीलाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मदन लाल जैन उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 06.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 86/2009

1. अणदी लाल आत्मज घांसी लाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।
2. गोपाल लाल आत्मज घांसीलाल जाति माली निवासी आमथून तहसील व जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नन्द कुमार जोशी आत्मज श्री हरिशंकर जोशी जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीपुरा हाल निवासी मकान नम्बर 185 वार्ड संख्या 05 आदर्श विद्या मंदिर के पास गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी।
2. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 503/331 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 506/336, 342 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 507/331 , 342 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 528/288 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 57 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 278 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 427 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 515 रकबा 07 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 516 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के पिता के खाते में अंकित की । इस प्रकार भू–प्रबन्ध वालें ने वादल के पिता की 57 बीघा 11 बिस्वा भूमि के बजाय 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही बिना किसी बेचान अथवा न्यायालय के निर्णय बिना ही 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि कम खाते में दर्ज की है । वादी के पिता के निधन के समय उनका 47 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर कब्जा चला आ रहा था । वादी के पिता के निधन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 08.07.2003 से वादी के पिता हरिशंकर जी के बजाये वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । पुराने खसरा नम्बर मिन 291 की 02 बीघा 09 बिस्वा व 288 मिन की 10 बीघा कुल 12 बीघा 09 बिस्वा भूमि जिसके नम्बर 443 व 427/665 होते हैं में से 427/665 रकबा 10 बीघा व

443 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा का इंद्राज घांसी प्रतिवादी अणदी लाल व गोपाल का पिता था उसके नाम दर्ज कर दिया जिसका कोई विधिक अधिकार नहीं था ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 427/665 रकबा 10 बीघा भूमि को वादी के खातेदारी स्वामित्व की घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते से विलोपित की जाकर वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 के द्वारा वादी स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 427/665 रकबा 10 बीघा को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादी कम 1 व 2 के नाम खातेदारी से विलोपित करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है, और रिकॉर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 निरस्त फरमया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान किये परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही की गई । वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादी अपीलान्ट के पिता के खातेदारी में दर्ज थी जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ही उक्त भूमि भू–प्रबन्ध ने प्रतिवादी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि भू –प्रबन्ध विभाग को पूर्व इन्द्राज में फेरबदल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे साबित है कि वादी रेस्पोडेन्ट के पिता के खाते में कुल 57 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में दर्ज जो बाद सेटलमेंट उक्त भूमि कम करते हुए 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी । इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट के पिता के खातेदारी में कुल 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि कम कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । उक्त

भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट कम 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद को साबित किया है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2009 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा